

उदय प्रताप कालेज, वाराणसी

(स्वायत्तशासी संस्था)

दिनांक: 27.04.2018

छात्रवृत्ति—(2017—18) से सम्बन्धित सूचना

निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत फेल्ड ट्रांजेक्शन की धनराशि के पुनर्भुगतान की कार्यवाही दिनांक 30 अप्रैल, 2018 के पूर्व की जानी है। शासन द्वारा फेल्ड ट्रांजेक्शन की धनराशि को पुनः प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र/छात्राओं की वर्ष 2017—18 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के कारण उनके खातों में अन्तरित नहीं हो सकी है, ऐसे सभी छात्र/छात्रायें अपना खाता शीघ्र ही बैंक से सम्पर्क स्थापित कर अपडेट कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा पुनः ट्रांजेक्शन फेल्ड होने की स्थिति में दोबारा धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। छात्र अपने खाते में धनराशि किन कारणों से ट्रांजेक्शन फेल हुआ है कि जानकारी <http://pfms.nic.in> पर अपने बैंक का नाम एवं खाता संख्या के माध्यम से आनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


प्राचार्य